

मान्यत दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
मान्यत दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा-2025

शिविर- आदलवाड़ा कला

दिनांक- 24/6/2025

प्रकरण संख्या- 25/2025-

श्री इन्द्रसिंह पुत्र
बड़ी

सम्बल

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



आदेश :

प्रार्थी के खाता नुकरती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतावजे, पदवीरो
हल्का का. 5लां मू अ नि का. 5लां एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की
रिपोर्ट/अनुशषा अनुसार राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के तहत
ग्राम बोरडा प 40 ह 0 का. 5लां की वर्तमान स्थायी
जमाबन्दी के खाता संख्या 105 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये
जाते हैं।

क्र. स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>बैंड का नाम</u>	<u>इंद्रसिंह पुत्र बड़ी</u> <u>मीना टि. 1/15</u> <u>राष्ट्र 5000 शाब</u> <u>swm सीटी</u>	<u>इंद्रसिंह पुत्र बड़ी</u> <u>मीना टि. 1/15</u> <u>राष्ट्र 5000 शाब</u> <u>swm सीटी</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिलिपी -

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर सालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री इंद्रसिंह पुत्र बड़ी मीना टि. 1/15
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)